शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 48 अंक-26 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 26-03 जुलाई 2023 मूल्य पांच रूपये

क्या हिमाचल में भी महाराष्ट्र घट सकता है

- कांग्रेसी से भाजपाई बने हर्ष महाजन की सक्रियता से उभरी आशंकाएं
- विपिन परमार और त्रिलोक कपूर के ब्यानों से बढ़ी चिन्ताएं
- मंत्री परिषद का विस्तार क्यों टाला जा रहा है
- विभिन्न निगमों/बोर्डो में कार्यकर्ताओं की ताजपोशीयां कब?

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे और अब भाजपा की प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य हर्ष महाजन कि पिछले दिनों दिल्ली में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू तथा कुछ कांग्रेसी विधायकों से हुई मुलाकात और अब विपिन परमार तथा त्रिलोक कपूर के ब्यानों से महाराष्ट्र के परिदृश्य में हिमाचल में भी अटकलों का बाजार तेज होने लग गया है। सुक्खू और हर्ष महाजन के रिश्ते कांग्रेस में बहुत अच्छे रहे हैं यह सब जानते हैं। विधानसभा चुनावों से पहले भी कई कांग्रेस नेताओं के भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं उठती रही हैं। बल्कि सुक्खू और जयराम का एक फ्लाइट में संयोगवश इकट्ठे होना तथा उस फ्लाइट में और किसी यात्री का न होना भी कई चर्चाओं का विषय रहा है। इस परिदृश्य में बनी कांग्रेस सरकार में मंत्रियों से पहले मुख्य संसदीय सचिवों की शपथ हो जाना और बाद में उनकी नियुक्तियों को भाजपा नेताओं द्वारा ही उच्च न्यायालय में चुनौती दिया जाना और अब इन्हें अदालत के नोटिस तामील न हो पाना कुछ ऐसे संयोग हैं जिन्हें अगर एक साथ रखकर पढ़ने की कोशिश की जाये तो बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं। जिनका जवाब तलाशना कठिन हो जाता है।

सुक्खू सरकार में मंत्रियों के तीन पद खाली चले हुये हैं जो मंत्रिमण्डल में असन्तुलन का सीधा प्रमाण हैं और मंत्रिमण्डल का विस्तार लटकता जा रहा है। विभिन्न निगमों/बोर्डो में अभी तैनातीयां नहीं हो पायी है इससे वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हताशा में आ गये हैं। जबकि पार्टी अध्यक्षा वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सरकार में मान-सम्मान दिये जाने की मांग कर चुकी है। प्रशासनिक तौर पर अभी भी भाजपा शासन के दौरान लगाये अधिकारियों को ही प्रशासन के शीर्ष पदों पर तैनात रखा है। मुख्यमंत्री प्रशासन के माध्यम से प्रदेश में सरकार बदलने का संदेश नहीं दे पाये हैं। बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का दावा प्रशासनिक अराजकता बनता जा रहा है। आम आदमी की शिकायत है कि मुख्यमंत्री को दिये जा रहे प्रार्थना पत्रों/प्रतिवेदनों का कोई अता पता ही नहीं चल रहा है। चर्चा है कि एक मंत्री अपने विभाग के सचिव की कार्यप्रणाली से खुश नहीं थे। उन्होंने मुख्यमंत्री से सचिव को बदलने का आग्रह किया। लेकिन मुख्यमंत्री ने सचिव को बदलने की बजाये मंत्री का ही विभाग बदलने की पेशकश कर दी। एक अन्य मंत्री की सिफारिश पर मुख्यमंत्री ने तो फाइल पर अनुमोदन कर दिया लेकिन सचिव स्तर पर काम नहीं हुआ। पता चला कि मुख्यमंत्री ने ही सचिव को ऐसे निर्देश दिये थे। बहुत सारे ऐसे मामले चर्चा में हैं जहां मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बावजूद सचिव स्तर पर काम रुक रहे हैं। इससे प्रशासन में अनचाहे ही अराजकता का वातावरण बनता जा रहा है।

मंत्री परिषद में असन्तुलन कार्यकर्ताओं में मोहभंग की स्थिति पैदा होना तथा प्रशासन में बढ़ती अराजकता अब ऐसे तथ्य बन गये हैं कि शायद हाईकमान के भी संज्ञान में आ चुके हैं। शायद इसी सब का परिणाम रहा है की चुनावी सर्वे में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिल पा रही है। इसी सर्वे के बाद हाईकमान ने निष्पक्ष रिपोर्ट के लिये पूर्व मंत्री कॉल सिंह को दिल्ली बुलाया था। चर्चा है कि कॉल सिंह की रिपोर्ट में 23 विधायकों और मंत्रियों के भी हस्ताक्षर हैं। जब से कॉल सिंह की रिपोर्ट और सर्वे के परिणाम चर्चा में आये हैं तब से स्थितियां और उलझती जा रही हैं। बल्कि अब तो यहां तक चर्चाएं चल रही हैं कि मुख्यमंत्री स्वस्थ लाभ के नाम पर चंडीगढ़ बैठकर पूरी स्थिति का आकलन करने का प्रयास कर रहे हैं।

दूसरी ओर यह माना जा रहा है की मुख्य संसदीय सचिवों को लेकर दायर हुई याचिका पर जल्द फैसले के हालात पैदा किये जायें। क्योंकि यह तय है की यह नियुक्तियां संविधान के प्रावधान के अनुरूप नहीं हैं इसलिए यह रद्द होंगी ही। उस समय राजनीतिक समीकरण नये सिरे से आकार लेंगे। प्रदेश पहले ही वित्तीय संकट से गुजर रहा है और जब इसके साथ राजनीतिक संकट के आसार बन जाएंगे तब केन्द्र सरकार और भाजपा को खेल खेलने का खुला अवसर मिल जायेगा। क्योंकि जिस तरह भाजपा कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी के व्यापक चुनाव प्रचार के बाद भी हार गयी उससे अब गैर भाजपा सरकारों को अस्थिर करने वहां सत्ता पलटने के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नहीं बचते हैं। फिर अभी केन्द्रीय मंत्री परिषद के संभावित फेरबदल में अनुराग ठाकुर को मंत्री पद से हटाकर संगठन में जिम्मेदारी दिये जाने की चर्चाओं से भी यही संकेत उभर रहे हैं कि भाजपा हिमाचल में कोई बड़ा खेल खेलने के लिये जमीन तैयार कर रही है। यदि कांग्रेस हाईकमान और प्रदेश सरकार समय रहते सचेत न हुई तो हिमाचल में कोई बड़ा नुकसान हो सकता है।

राज्यपाल ने आईआईटी मंडी में 'समाज के लिए प्रौद्योगिकी' विषय पर आयोजित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के तकनीकी विकास में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मंडी का महत्वपूर्ण योगदान है। यह संस्थान सेब आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में तकनीकी सहायता भी प्रदान कर सकता है और स्थानीय समस्याओं के समाधान में भी मदद कर सकता है। यह बात राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल

ने आईआईटी, मंडी में 'समाज के लिए प्रौद्योगिकी' विषय पर आयोजित जी-20/एस-20 सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मेगा जी-20 -एस-20 के इस सम्मेलन से सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के प्रभावशाली प्रतिनिधियों को एक-साथ आने और तकनीकी हस्तक्षेप के साथ सामाजिक विकास के लिए ज्ञान साझा करने और सार्थक चर्चा की दिशा में बेहतर मंच उपलब्ध हुआ है।

शुक्ल ने कहा कि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है और इसकी अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, इसलिए इस संस्थान की जिम्मेदारी है कि वह हिमाचल प्रदेश से शुरू कर दुनिया भर के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करे। उन्होंने समाज के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए संस्थान द्वारा की गई पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण पहाड़ी परिवेश के लिए रोप-वे विकसित करना, भूस्खलन और हिमस्खलन की भविष्यवाणी करने के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास जैसे संस्थान द्वारा किए गए कार्य सराहनीय हैं। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि शोधकर्ता कुशल तरीके से खाना पकाने के स्टोव बनाने पर काम कर रहे हैं, जो राज्य में दुर्गमता की समस्याओं को हल करने में अनुकरणीय कदम साबित हो सकता है। इसी तरह उद्योग के लिए ऊर्जा के रूप में सूखी चीड़ की पत्तियों से जैव ईंधन विकसित करने से भी ग्रामीण लोगों को मदद मिलेगी। उन्होंने अन्य जैव ईंधन और हरित ईंधन के विकास को प्रमुखता से आगे बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया।

उन्होंने कम लागत वाले वेंटिलेटर और नवजात आईसीयू, कम लागत वाले देखभाल उपकरणों, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और नैनो टेक्नोलॉजी के विकास की पहल की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि रोबोटिक्स और कृत्रिम मेधा का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संकट को दूर करने के साथ-साथ शहरी सेटिंग्स में स्वास्थ्य देखभाल की लागत को कम करने में सहायक होगा। उन्होंने राज्य में भूस्खलन और हिमस्खलन की भविष्यवाणी के लिए प्रौद्योगिकियों को मज़बूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।

आईआईटी मंडी के निदेशक प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा ने राज्यपाल का स्वागत किया और संस्थान की गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया।

राज्यपाल ने फोरलेन राजमार्ग के टकोली खंड का निरीक्षण किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मण्डी जिला के अन्तर्गत निर्माणाधीन कीरतपुर-मनाली फोरलेन सड़क मार्ग के पंडोह से टकोली खंड के

कार्य की प्रगति की समीक्षा की। फोरलेन का यह कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जा रहा है। उन्होंने जाउगी में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियंत्रण कक्ष का दौरा किया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों ने राज्यपाल को विभिन्न सुविधाओं और अन्य नियंत्रण प्रणाली से अवगत करवाया।

राज्यपाल ने निर्माण कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि अटल टनल का निर्माण राज्य के विकास में एक अनूठी पहल है और अब इस फोरलेन परियोजना से भी राज्य के पर्यटन विकास सहित अन्य क्षेत्रों को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा इस परियोजना के पूरा होने के बाद सड़क मार्ग की दूरी कम होने के साथ-साथ राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे राज्य की आय बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने इस विकास परियोजना को स्वीकृत करने तथा राज्य के लिए क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया। राज्यपाल ने कहा कि कीरतपुर से मनाली तक की यह फोरलेन परियोजना प्रधानमंत्री का 'ड्रीम प्रोजेक्ट' शीघ्र पूरा होने वाला है और इससे हिमाचल में विकास को और गति मिलेगी।

राज्यपाल ने रेडक्रॉस के माध्यम से अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मंडी में जिला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम

में छह बच्चों को जिला रेडक्रॉस के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की। ये बच्चे कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान अनाथ हो गए थे। उन्होंने रेडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से स्वच्छता कर्मियों को स्वास्थ्य किट और दिव्यांग व्यक्तियों को व्हील चेयर भी प्रदान की।

इस अवसर पर राज्यपाल ने एक एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

लाभार्थियों और रेडक्रॉस स्वयं सेवकों के साथ बातचीत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि समाज सेवा के क्षेत्र में यह अग्रणी संस्था है। विभिन्न परिस्थितियों और आपातकालीन समय में लोगों को महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने में इस रेडक्रॉस का सराहनीय योगदान है। उन्होंने रेडक्रॉस के माध्यम से रक्तदान शिविरों के आयोजन, स्वास्थ्य शिविरों तथा आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन पर संतोष व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी रेडक्रॉस स्वयं सेवकों ने बहुमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों का जिला रेडक्रॉस सोसायटी से जुड़ने का आहवान किया ताकि इसकी गतिविधियों को और अधिक विस्तारित किया जा सके। उन्होंने कहा कि एनसीसी और एनएसएस के विद्यार्थियों को भी इससे जोड़ा जाना चाहिए।

उन्होंने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए सरकाघाट के कुशल कुमार और विशाल तथा जोगिंदरनगर के अंश दीप को 51-51 हजार रुपये और करसोग की कुमारी ममता देवी और जोगिंदरनगर की परी रानी और सोफिया को 75-75 हजार रुपये के चेक प्रदान किए।

जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव ओ.पी. भाटिया ने राज्यपाल का स्वागत किया और जिले में कार्यान्वित की जा रही सोसाइटी की विभिन्न गतिविधियों से अवगत करवाया।

केवीके सोलन के वैज्ञानिक ने जीता सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति पुरस्कार

शिमला/शैल। कंडाघाट स्थित कृषि विज्ञान केंद्र सोलन की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ.आरती शुक्ला ने कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान (अटारी) जोन 1 के कृषि विज्ञान केंद्रों की वार्षिक क्षेत्रीय कार्यशाला के दौरान केवीके गतिविधियों की प्रस्तुति के लिए हिमाचल के 13 कृषि विज्ञान केन्द्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति पुरस्कार जीता। केवीके सोलन का प्रबंधन डॉ. यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी द्वारा किया जाता है।

कार्यशाला का आयोजन आईसीएआर अटारी लुधियाना और जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर द्वारा संयुक्त रूप से उत्तरांचल विश्वविद्यालय, देहरादून में हाल ही में किया गया। कार्यशाला में जोन 1 के 72 कृषि विज्ञान केन्द्रों ने भाग लिया। उद्घाटन सत्र में डॉ. मनमोहन सिंह चौहान, कुलपति जीबीपीयूएटी पंतनगर, डॉ. परविंदर कौशल,

कुलपति, यूयूएचएफ भरसार और एडीजी (एई) आईसीएआर, नई दिल्ली उपस्थित रहे। कुल मिलाकर 7 तकनीकी सत्र, 2 संयुक्त सत्र और 7 समानांतर सत्र इस कार्यशाला में आयोजित किए गए। पहले संयुक्त सत्र में आठ विश्वविद्यालयों के निदेशक विस्तार शिक्षा ने केवीके को तकनीकी सहयोग और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विस्तार में की गयी अभिनव पहल पर प्रस्तुति दी। इसके अतिरिक्त भारत भर के वैज्ञानिकों और उद्यमियों के 8 विशेषज्ञ व्याख्यान का आयोजन किया गया। समानांतर तकनीकी सत्रों में 72 केवीके के वैज्ञानिकों ने भविष्य की कार्य योजना के साथ-साथ अपने-अपने केंद्र की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

कार्यशाला में विश्वविद्यालय के निदेशक विस्तार डॉ. इंद्र देव ने भी भाग लिया, जिन्होंने 2022 के दौरान निदेशालय द्वारा केवीके को प्रदान किए गए तकनीकी सहयोग पर एक प्रस्तुति दी और कोविड के बाद से निदेशालय द्वारा की गयी पहलों को साझा किया। डॉ. आरती शुक्ला द्वारा दी गयी प्रस्तुति को हिमाचल प्रदेश के केवीके में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया, जिसमें उन्होंने प्राकृतिक खेती, मशरूम की खेती, फलों और सब्जियों की फसलों में अच्छाधन के उपयोग, टमाटर और शिमला मिर्च में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन और सेब और सब्जियों की फसलों में बीमारियों और कीटों के प्रबंधन के लिए पर्यावरण-अनुकूल दृष्टिकोण को लोकप्रिय बनाने पर केवीके सोलन के काम पर प्रकाश डाला। केवीके तिलहन और दलहन फसलों, श्री अन्न की उन्नत किस्मों को लोकप्रिय बनाने, कृषि ड्रोन पर प्रदर्शन और कंडाघाट और धर्मपुर ब्लॉकों के लिए दो किसान उत्पादक संगठन के गठन की दिशा में भी काम कर रहा है। कार्यशाला के अंतिम दिन सर्वश्रेष्ठ केवीके और सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति पुरस्कार वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के निदेशक एवं कुलपति रेनू सिंह द्वारा दिये गये।

कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल ने स्टेशन की गतिविधियों को प्रदर्शित करके विश्वविद्यालय और केवीके को गौरवान्वित करने के लिए डॉ. आरती को बधाई दी। निदेशक विस्तार शिक्षा डॉ. इंद्र देव, केवीके सोलन के समन्वयक डॉ. जितेंद्र चौहान और स्टेशन के सभी वैज्ञानिकों ने भी डॉ.आरती को बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने ईद पर शुभकामनाएं दी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय को ईद (बकरीद) के पावन अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं।

अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह पर्व देश व प्रदेश में शांति, एकता एवं आपसी भाईचारे की भावना का संचार करेगा। उन्होंने कहा कि यह पर्व हमें देश की एकता एवं अखण्डता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा इसे और अधिक सुदृढ़ करने का भी संदेश देता है।

तबादलों के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी

शिमला/शैल। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि विभिन्न विभागों में सरकारी कर्मचारियों की तैनाती और तबादलों से संबंधित सभी मामले, जिन पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के विचार की आवश्यकता है, उन पर महीने के अंतिम चार कार्य दिवसों में विचार किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों द्वारा तैनाती एवं स्थानांतरण के अनुमोदित आदेश भी माह के अंतिम चार कार्य दिवसों में ही जारी किये जायेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि जब तक कोई असाधारण परिस्थिति न हो, ऐसे मामलों को महीने के शेष दिनों में नहीं उठाया जाएगा। यह निर्देश राज्य सरकार के सभी बोर्डों और निगमों पर भी लागू होंगे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

कौशल विकास निगम व 10 क्षेत्र कौशल परिषदों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित

शिमला/शैल। तकनीकी शिक्षा सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने बताया कि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने प्रदेश के युवाओं के लिए बेहतर शैक्षणिक अवसर बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्र कौशल परिषदों के साथ दस नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

इन समझौता ज्ञापनों पर निगम के प्रबंध निदेशक जतिन लाल और दस विभिन्न क्षेत्र कौशल परिषदों के प्रतिनिधियों के बीच हस्ताक्षर किए गए।

डॉ. जैन ने कहा कि कौशल उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण पर सरकार विशेष बल दे रही है। इसके अंतर्गत नवीन कार्यक्रमों की पहल की गयी है। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्र कौशल परिषदों और शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग विशेषज्ञों और सरकारी निकायों के सहयोग से राज्य सरकार ने कौशल विकास के लिए सफलतापूर्वक अनुकूल वातावरण तैयार किया है।

इस अवसर पर कौशल विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक जतिन लाल ने कहा कि युवाओं के कौशल विकास में इस तरह के सहयोग महत्वपूर्ण हैं और इससे राज्य में प्रतिभावान युवाओं को तैयार करने में सहायता मिलेगी। यह समझौता युवाओं को अपने संबंधित क्षेत्रों में अग्रणी संस्थानों से सीखने के अद्वितीय अवसर भी प्रदान करेगा।

उन्होंने कहा कि विभिन्न निःशुल्क पाठयक्रमों के लिए 4000 से अधिक सीटें उपलब्ध हैं। इन पाठयक्रमों की कुल लागत लगभग 15 करोड़ रुपये है। यह सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम निगम द्वारा प्रायोजित हैं और उम्मीदवारों को इन उच्च मूल्य वाले पाठयक्रमों के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने बताया कि ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद फोर व्हीलर सर्विस तकनीशियन, ऑटोमोटिव सेल्स कंसल्टेंट और टू-व्हीलर सर्विस तकनीशियन में प्रशिक्षण प्रदान करेगी।

हस्तशिल्प और कालीन परिषद हस्तशिल्प और कालीन बनाने के पांच प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करेगा जिनमें कालीन के लिए सीएडी (कैड) डिजाइनर, लकड़ी के खिलौनो की कारीगरी, अपसाइक्लिंग स्क्रैप और ई-अपशिष्ट कारीगर, पारंपरिक सॉफ्ट टॉयज निर्माण और मिट्टी से कारीगरी संबंधी प्रशिक्षण शामिल हैं।

मीडिया क्षेत्र से संबंधित कौशल परिषद के तहत एनिमेटर, ग्राफिक डिजाइनर, एडिटर और साउंड एडिटर के प्रशिक्षण उपलब्ध होंगे। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिभागियों को कैमरा संचालन, संपादन, ध्वनि डिजाइन, पटकथा लेखन और उत्पादन प्रबंधन सहित मीडिया उत्पादन के विभिन्न पहलुओं की व्यापक समझ प्रदान करेंगे।

एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र सीएनसी प्रोग्रामिंग लेथ और पीएलसी प्रोग्रामिंग और माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

कृषि क्षेत्र कौशल परिषद के तहत बागवानी विशेषज्ञ, डेयरी किसान पर्यवेक्षक, मछली पालन (एक्वाकल्चर) कार्यकर्ता और पुष्प उत्पादन (फ्लोरीकल्चरिस्ट) के प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे।

लॉजिस्टिक क्षेत्र कौशल परिषद कूरियर एसोसिएट ऑपरेशंस, लैंड ट्रांसपोर्टेशन एक्जीक्यूटिव और वेयरहाउस एक्जीक्यूटिव सहित तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करेगा। माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने, आपूर्ति श्रृंखलाओं के प्रबंधन और परिचालन दक्षता को अनुकूलित करने में यह प्रशिक्षण महत्वपूर्ण हैं।

जेम एंड ज्वेल क्षेत्र कौशल परिषद ज्वैलरी डिजाइनर, ज्वैलरी रिटेल सेल्स एसोसिएट, स्टोन फिक्सर-इमिटेशन ज्वैलरी, ज्वैलरी मूल्यांकक और मूल्यांकनकर्ता और ज्वैलरी फ्रेम और कंपोनेंट निर्माता में प्रशिक्षण प्रदान करेगा। ये उच्च मूल्य वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम आभूषण बनाने की अत्याधुनिक तकनीक प्रदान करते हैं।

खेल क्षेत्र कौशल परिषद के तहत फिटनेस ट्रेनर, लाइफ गार्ड ओपन वॉटर, सेल्फ डिफेंस असिस्टेंट और सेल्फ डिफेंस ट्रेनर के प्रशिक्षण उपलब्ध होंगे।

कैपिटल गुड्स क्षेत्र कौशल परिषद स्टड वेल्डिंग ऑपरेटर, लैब तकनीशियन-मेटल टेस्टिंग और तकनीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन के प्रशिक्षण उपलब्ध करवाएगा। विभिन्न उद्योगों में पूंजीगत वस्तुओं के महत्व और आर्थिक विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है।

फर्नीचर और फिटिंग क्षेत्र कौशल परिषद सहायक बढ़ई के लिए लकड़ी के फर्नीचर तैयार करने का प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

लर्नर ड्राइविंग लाईसेंस प्रक्रिया हुई अब और सुगमःमुख्यमंत्री

लाइसेंसिंग प्राधिकारी ड्राइविंग टेस्ट से पहले प्रमाणीकरण के लिए एआई का करेंगे उपयोग

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार लोगों को सरल और सुगम तरीके से सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में अनेक नवोन्मेषी कदम उठा रही है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ)और क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों (आरएलए) के कार्यालयों को सुविधा सम्पन्न करने के उद्देश्य से सरकार ने एक नयी पहल की है। इसके अंतर्गत लोगों को अपने घरों से ही आसानी से बिना किसी परेशानी के अपना लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि व्यक्ति अब आधार-आधारित प्रमाणीकरण का लाभ उठाते हुए, पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी स्थान से अपना लर्नर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।

इस प्रणाली से आधार-आधारित लर्निंग लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया सुव्यवस्थित हुई है तथा भौतिक सत्यापन, जांच और अनुमोदन की आवश्यकता नहीं रहेगी। आवेदक अब अपने लर्निंग लाइसेंस आवेदन, आवश्यक दस्तावेज और हस्ताक्षर ऑनलाईन अपलोड कर सकते हैं और आवश्यक शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन कर सकते हैं। इससे न केवल बहुमूल्य समय और संसाधनों की बचत होगी, बल्कि आरएलए और आरटीओ कार्यालयों पर अनावश्यक बोझ भी कम होगा।

आरएलए धर्मशाला में पायलट आधार पर सफल कार्यान्वयन के बाद, यह प्रणाली अब प्रदेश के सभी जिलों में काम कर रही है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य लोगों को दक्षता से महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवाने के राज्य सरकार के दृष्टिकोण को यथार्थ रूप प्रदान करना है। इस प्रणाली के उपयोग से कागजी कारवाई कम होने के साथ ही लोगों के लिए लाइसेंस अधिग्रहण प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित हुई है। हालांकि ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट (परीक्षण) के लिए आवेदकों को अभी भी स्लॉट बुकिंग के अनुसार अपाइंटमेंट शेडयूल करने के लिए आरएलए में स्वयं जाना आवश्यक है।

लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन फेसलेस सेवा सप्ताह भर चौबीस घंटे आवेदकों के लिए सुविधाजनक सिद्ध हो रही है। भौतिक प्रमाणीकरण की आवश्यकता समाप्त होने, दस्तावेज सत्यापन और आरएलए कार्यालयों में लर्निंग टेस्ट आयोजित करने इत्यादि से लाइसेंस अधिग्रहण प्रक्रिया में दक्षता भी बढ़ी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लर्नर लाईसेंस के आवेदकों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए, लर्निंग ड्राइविंग टेस्ट शुरू होने से पहले कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित फेस अथेंटिकेशन प्रक्रिया शुरू की गयी है। आवेदक के चेहरे की तुलना आधार रिकार्ड के अनुसार उनके आवेदन पत्र में उपलब्ध छवि से की जाती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए राज्य सरकार अधिक से अधिक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित कर रही है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार विभिन्न सरकारी विभागों के कामकाज में आधुनिक तकनीक को शामिल कर रही है।

प्रदेश में खरीफ सीज़न में खाद्यान्न फसलों के 4121 मीट्रिक टन बीज वितरित

शिमला/शैल। मानसून की तैयारी, खरीफ फसलों की बुआई और कृषि के लिए विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए केन्द्रीय संयुक्त सचिव, (सी. आर एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकारी) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, रितेश चौहान और कृषि सचिव राकेश कंवर की सह-अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में राज्य के सभी सम्बन्धित योजना नोडल आधिकारियों की उपस्थिति में केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं की विस्तार से समीक्षा भी की गयी।

रितेश चौहान ने केन्द्रीय योजनाओं के सभी घटकों मुख्यत: फसल बीमा योजना का त्वरित प्रचार-प्रसार पर बल दिया ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने प्रदेश में पंचायत स्तर पर स्वचलित मौसम केन्द्र स्थापित करने पर बल देते हुए कहा कि इसमें केन्द्र सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व कृषि उन्नति योजनाओं के तहत विभिन्न उप-योजनाओं के तहत वर्ष 2023-24 के लिए फंड रिलीज़ करने के लिए त्वरित कार्यवाही का आश्वासन दिया ताकि प्रदेश के किसानों को समय पर लाभ मिल सके।

कृषि सचिव राकेश कंवर ने बताया कि बीज एवं कृषि आदानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक फसल योजना पहले से ही लागू है तथा खरीफ में बुआई की जाने वाली विभिन्न फसलों के बीज प्रदेश के किसानों को अनुदान पर उपलब्ध करवा दिए गए है। खरीफ सीज़न 2023 में खाद्यान्न फसलों के 4121 मीट्रिक टन बीज, 30 मीट्रिक टन कीटनाशक व 10607 मीट्रिक टन रासायनिक खाद उपलब्ध करवाई जा चुकी है। इसके अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्र एवं राज्य कृषि विस्तार अधिकारियों के माध्यम से जलवायु सहाय कृषि, मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

बैठक में फंड रिलीज़ आदि से सम्बन्धित मुद्दों पर चर्चा की गयी और विभाग की ओर से आश्वस्त किया गया कि फंड के समुचित उपयोग के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने जाएंगे।

ड्रोन तकनीक एप्लीकेशन पर दो दिवसीय हिमाचल ड्रोन कॉन्कलेव

शिमला/शैल। डिजीटल तकनीक एवं गवर्नेंस विभाग द्वारा चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर में 04 तथा 05 जुलाई, 2023 को हिमाचल ड्रोन कॉन्कलेव आयोजित किया जाएगा। इस कॉन्कलेव में व्यापार जगत के प्रमुख, विशेषज्ञ, शिक्षाविद् तथा हितधारक शामिल होंगे, जो ड्रोन के क्षेत्र में सहयोग और ज्ञान के अदान-प्रदान को बढ़ावा देंगे।

विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि यह कार्यक्रम कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, कृषि, वन प्रबन्धन, पर्यटन तथा अधोसंरचना विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक की प्रगति तथा उपयोग की जाने वाली एप्लीकेशन को उजागर करेगा। प्रथम सत्र की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्यात प्रवक्ता हिमाचल प्रदेश में ड्रोन तकनीक के वर्तमान परिदृश्य, गवर्नेंस में ड्रोन तकनीक की भूमिका तथा इस क्षेत्र में रोज़गार अवसरों पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव उद्योग आर.डी.नजीम, सचिव सूचना प्रौद्योगिकी डॉ. अभिषेक जैन तथा अन्य प्रमुख्य प्रवक्ताओं में शामिल होंगे।

प्रथम पैनल चर्चा के दौरान युवाओं के लिए ड्रोन तकनीक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों पर बल दिया जाएगा। द्वितीय पैनल चर्चा में कानून व्यवस्था, आपदा प्रबन्धन तथा वन संरक्षण में ड्रोन तकनीक की विभिन्न एप्लीकेशन पर प्रकाश डाला जाएगा जिसमें सीमावर्ती क्षेत्रों तथा संवदेनशील स्थानों की निगरानी, लक्ष्य चिन्हित करने, आपदा के दौरान खोज एवं बचाव अभियान, संकट की घड़ी में लोगों तक आवश्यक आपूर्ति तथा जानकारी पहुंचाने, वन जीवों के शिकार तथा वन संसाधनों की चोरी पर रोक लगाने पर चर्चा की जाएगी।

द्वितीय पैनल चर्चा के दौरान कृषि, बागवानी तथा वन प्रबन्धन में ड्रोन के उपयोग के महत्व पर बल दिया जाएगा, जिसमें कीटनाशक छिड़काव के सुरक्षित तरीकों, परिशुद्ध खेती, फसलों की निगरानी, फसलों के नुकसान का आंकलन तथा वन आवरण एवं पौधारोपण की निगरानी शामिल होगी।

05 जुलाई को कार्यक्रम के दौरान दवाइयों, चिकित्सा उपकरणों को विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाने तथा अधोसंरचना प्रबन्धन और विकासात्मक परियोजनाओं में ड्रोन तकनीक की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। सत्र के दौरान दुर्गम क्षेत्रों में समय पर चिकित्सा सेवाएं तथा आपातकालीन स्थिति में त्वरित राहत प्रदान करने, पहाड़ी क्षेत्रों में आवश्यक सामान पहुंचाने और पर्यावरण संरक्षण में ड्रोन तकनीक के योगदान पर बल दिया जाएगा। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक पहलों में निर्माण कार्य, अधोसंरचना की निगरानी एवं विकास, रख-रखाव दलों को लाइफ फीड उपलब्ध करवाना, ड्रोन आधारित सर्वेक्षण करवाने, जल स्त्रोतों की निगरानी और दुर्गम क्षेत्रों में तेल तथा गैस पाइप लाइनों के निरीक्षण में ड्रोन के प्रकाश पर बल डाला जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह हिमाचल ड्रोन कॉन्कलेव विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक की अद्यतन प्रगति, सफलता की कहानियों तथा प्रदेश में ड्रोन के भविष्य को प्रस्तुत करने का बेहतर मंच प्रदान करेगा।

फोर्टिफाइड सोया रिफाइंड तेल अब 104 रुपये प्रति लीटर की दर पर उपलब्ध होगा

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार आम आदमी को राहत पहुंचाते हुए 'व्यवस्था परिवर्तन' के अपने संकल्प को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में भी सक्रिय दृष्टिकोण से कार्यान्वित कर रही है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को किफायती दरों पर फोर्टिफाइड खाद्य तेल उपलब्ध करवाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने प्रदेश की उचित मूल्य दुकानों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) लाभार्थियों और एपीएल परिवारों के लिए फोर्टिफाइड सोया रिफाइंड तेल की बिक्री दर 104 रुपये तय की है। उन्होंने कहा कि रिफाइंड तेल की दरें एनएफएसए लाभार्थियों के लिए आठ रुपये तथा एपीएल परिवारों के लिए 13 रुपये कम होंगी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लगभग 7.54 लाख एनएफएसए राशन कार्ड धारक और लगभग 11.53 लाख एपीएल राशन कार्ड धारकों सहित लगभग 19 लाख राशन कार्ड धारक लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि खाद्य तेल की यह दरें पिछली दरों की तुलना में काफी कम हैं। इससे पूर्व एनएफएसए उपभोक्ताओं के लिए खाद्य तेल 112 रुपये प्रति लीटर और एपीएल उपभोक्ताओं के लिए 117 रुपये प्रति लीटर की दर से उपलब्ध हो रहा था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए कई उपाय कर रही है। हाल ही में राज्य सरकार ने सरसों तेल के दाम 37 रुपये प्रति लीटर कम करने का निर्णय लिया है। अब राशन कार्ड धारक उचित मूल्य की दुकानों से सरसों का तेल 110 रुपये प्रति लीटर की दर पर खरीद सकते हैं।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह पहल उपभोक्ताओं को कम दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में लिया गया यह अहम् निर्णय है।

हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं।

..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

क्या एक देश एक कानून चुनावी हथियार बन पायेगा?

संसद के मानसून सत्र में सरकार एक सामान्य नागरिक संहिता का कानून ला सकती है। उत्तराखंड सरकार ने तो एलान कर दिया है कि वह इस कानून को सबसे पहले लागू करेगी। यह कानून विपक्ष की एकजुटता के प्रयासों को रोकने का सबसे बड़ा साधन माना जा रहा है। इस कानून के आने से मुस्लिम पर्सनल लॉ सबसे ज्यादा प्रभावित होगा और इस समय मुस्लिम वोटों का सबसे बड़ा लाभार्थी गैर भाजपा विपक्ष माना जा रहा है। कुछ मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध करने का ऐलान भी कर दिया है। सभी राजनीतिक दलों को इस प्रस्तावित विधेयक पर अपना-अपना स्टैंड स्पष्ट करना होगा। इस कड़ी में नीतीश कुमार और केजरीवाल ने तो इसका समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। उद्धव ठाकरे भी इसके समर्थन की घोषणा कर सकते हैं क्योंकि वह इसकी मांग तो पहले से ही करते रहे हैं। ऐसी धारणा बनाई जा रही है जो दल इस प्रस्तावित विधेयक का समर्थन करेंगे उनकी मुस्लिम वोटों की दावेदारी उतनी ही कमजोर होती जायेगी। सारा मुस्लिम बोर्ड संगठित रूप से किसी एक दल को नहीं जायेगा और इसी से भाजपा का बड़ा नुकसान होने से बच जायेगा। इस परिपेक्ष में एक सम्मान नागरिक संहिता से जुड़े कुछ मूल प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक हो जाता है।

देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसके तहत पहला आम चुनाव 1952 को हुआ था। देश की 1952 से पहले की सरकार और संविधान सभा में सभी दलों के सदस्य थे। संविधान सभा के प्रमुख डॉ. अम्बेडकर थे। संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत धारा44 में निर्देश है "The state shall endeavour to secure the citizen uniform civil code throughout the territory of India" देने की आवश्यकता क्यों हुई थी इसके लिये कहा गया है कि "the object behind this article is to effect an integration of India by bringing all communities on common platform on matters which are governed by divorce personal laws but do not form the essence of any religion *e.g.* divorce maintenance for divorced wife." संविधान के इस उल्लेख से स्पष्ट हो जाता है कि एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता उस समय भी मानी गयी थी। लेकिन ऐसा कानून तब बनाया नही गया और इसे भविष्य के लिये छोड़ दिया गया। क्योंकि विस्थापन से उभरी समस्याएं प्राथमिकता थी। यह एक स्थापित सत्य है कि हर धर्म और समाज में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त तक अपने-अपने संस्कार और मान्यता होती है। हर धर्म अपने को दूसरे से श्रेष्ठ मानता है। इसीलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था। सब धर्म को एक समान माना गया है।

ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि यदि देश की परिस्थितियों उस समय एक समान नागरिक संहिता लाने की नही थी तो क्या आज बन गयी हैं। उस समय यह आवश्यकता तलाक और तलाकशुदा औरतों के भरण-पोषण की समस्या के परिदृश्य में सामने आयी थी। आज गैर मुस्लिम समाज के लिये तलाक और भरण-पोषण दोनों के लिये कानून उपलब्ध है। मुस्लिम समाज के लिये भी तीन तलाक समाप्त कर दिया गया है। विवाह तलाक और तलाकशुदा का भरण पोषण सब कानून के दायरे में आ चुका है। इसलिए आज जिस तरह से एक देश एक कानून को जनसभाओं में जनता के बीच रखा जा रहा है यह पूछा जा रहा है कि एक देश में एक कानून होना चाहिए या नही। इससे स्वत: ही राजनीतिक गंध आनी शुरू हो गयी है। यही सन्देश जा रहा है कि यह सब मुस्लिम समाज के खिलाफ किया जा रहा है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिनके लिये एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। इस प्रस्तावित विधेयक को लाने से पहले आम नागरिक के सामने इसकी अनिवार्यता स्पष्ट की जानी चाहिए। क्योंकि सत्तारूढ़ सरकार और भाजपा के खिलाफ यह धारणा बन चुकी है कि वह मुस्लिम विरोधी है तथा राजनीतिक प्रशासनिक भागीदारी से इस इतने बड़े समाज को बाहर रखना चाहती है।

आज देश के हर जाति और धर्म के संस्कारों में भिन्नता है। अभी हरियाणा की ही कुछ खाप पंचायतों से यह मांग आयी है कि उनके समाज में एक गोत्र और एक ही गांव में शादी वर्जित है और इसे कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए। कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों में महिलाओं और शूद्रों का प्रवेश वर्जित है। क्या एक समान नागरिक संहिता लाकर इन सारे सवालों को हल कर लिया जायेगा? क्या इससे इसका जवाब मिल जायेगा कि केदारनाथ के गर्भगृह से लाखों का सोना पीतल कैसे हो गया? इस पर कोई अधिकारिक रूप से स्पष्टीकरण क्यों जारी नहीं किया जा रहा है। भाजपा 2014 में सत्ता में आने से पहले से ही एक देश एक कानून की मांग करती रही है। फिर उसे आज 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस विधेयक को लाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? क्या इसकी आड़ में महंगाई और बेरोजगारी पर उठते सवालों से बचने का प्रयास किया जायेगा? लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करने के सवालों से बचने की कवायद होगा यह विधेयक? हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अदाणी-मोदी के रिश्तों पर उठते सवालों से ऐसे बचा जा सकेगा?

भारत के विद्युत क्षेत्र में परिवर्तनः सतत ऊर्जा और सार्वभौमिक पहुंच की ओर बढ़ते कदम

निमिष रुस्तगी, हिमांशु पाठक, मेदोनो जहासा

भारत के बिजली क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव हुये हैं, जिनका उद्देश्य लोगों को विश्वसनीय, किफायती और सतत ऊर्जा प्रदान करना है। पिछले 9 वर्षों में, बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने, बिजली तक पहुंच का विस्तार करने, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और अभिनव नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। यहां हम उन प्रेरणादायक उपलब्धियों और बदलाव लाने वाली पहलों पर विचार कर रहे हैं, जिन्होंने भारत के बिजली क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है।

हरित भविष्य की दिशा में भारत की यात्रा को वैश्विक मान्यता मिली है। पिछले नौ वर्षों में उत्पादन क्षमता में 175 जीडब्ल्यू से अधिक की वृद्धि के साथ, भारत बिजली की कमी वाले देश से एक बिजली अधिशेष राष्ट्र में परिवर्तित हो गया है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए देश की प्रतिबद्धता ने इस उपलब्धि को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सौर और पवन ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि ने नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने में विश्व के अग्रणी देश के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत किया है। आज, भारत नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के सन्दर्भ में पूरी दुनिया में चौथे स्थान पर है, इसकी कुल स्थापित बिजली क्षमता का 43% गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों पर आधारित है।

बिजली उत्पादन और सार्वभौमिक विद्युतीकरण के लिए भारत की प्रतिबद्धता इस परिवर्तन की प्रेरणा-शक्ति रही है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) पहल को सफलता के प्रतीक के रूप में मान्यता मिली है, जिसके तहत सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण हासिल करने के लिए देश के हर गांव और जिले को कवर किया गया है। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के अंतर्गत, 25 सितंबर, 2017 से ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में बिजली की सुविधा से वंचित 2.86 करोड़ परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने इसे बिजली सुविधा तक पहुँच के सन्दर्भ में, बिजली के इतिहास में दुनिया का सबसे तेज़ विस्तार कहा है। ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। बिजली की उपलब्धता, ग्रामीण क्षेत्रों में 2014 के प्रति दिन लगभग 12 घंटे से बढ़कर वर्तमान में 22.5 घंटे प्रति दिन और शहरी क्षेत्रों में लगभग 24 घंटे तक हो गयी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए, 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की गयी थी। डीडीयूजीजेवाई कार्यक्रम ने 28 अप्रैल, 2018 को 18,374 गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण करके 100% ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया। इसके लिए वितरण नेटवर्क को मजबूत किया गया तथा यह सुनिश्चित किया गया कि बिजली ग्रामीण भारत के हर कोने तक पहुँचे।

सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के प्रयासों के भी उल्लेखनीय परिणाम सामने आए हैं। किफायती एलईडी द्वारा सभी के लिए उन्नत ज्योति (उजाला) योजना के तहत, 2014 और 2019 के बीच एलईडी बल्बों की खरीद कीमत में लगभग 90% की कमी आयी है। एक एलईडी बल्ब की कीमत 310 रुपये से घटकर 39.90 रुपये रह गयी है। इस योजना के तहत अब तक 36.86 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए जा चुके हैं। इस पहल से न केवल घरों में बिजली की लागत कम हुई है, बल्कि एलईडी बल्बों के घरेलू निर्माण को भी बढ़ावा मिला है और 'मेक इन इंडिया' अभियान को समर्थन मिला है। परिणामस्वरूप, भारत ने ऊर्जा-कुशल प्रकाश समाधानों को व्यापक रूप से अपनाया है, जिसने ऊर्जा की खपत को कम करने के साथ हरित पर्यावरण में भी योगदान दिया है।

बिजली वितरण की दक्षता बढ़ाने के लिए, सरकार ने पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) जैसी पहलों को लागू किया है। आरडीएसएस से बिजली वितरण कंपनियों का वितरण घाटा वित्त वर्ष 2020-21 के 21.5% से कम होकर वित्त वर्ष 2021-22 में 16.5% रह गया है। ये पहलें (तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे को कम करने, मीटर और बिल प्रणाली में सुधार करने और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। स्मार्ट ग्रिड, उन्नत मीटर अवसंरचना और मांग प्रतिक्रिया व्यवस्था के एकीकरण से ग्रिड स्थिरता में वृद्धि हुई है और उपभोक्ताओं को अपनी ऊर्जा खपत को सक्रिय रूप से प्रबंधित करने की सुविधा मिली है।

2014 से भारत के बिजली क्षेत्र में हुए बदलाव, प्रगति और सहनीयता की एक उल्लेखनीय गाथा है। सार्वभौमिक विद्युतीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा का तेज विस्तार, बेहतर वितरण प्रणाली और बढ़ी हुई ऊर्जा दक्षता जैसी उपलब्धियों के साथ भारत ने दुनिया के लिए एक प्रेरणादायी उदाहरण पेश किया है। हितधारकों की भागीदारी के साथ भारत सरकार की प्रतिबद्धता से देश स्थायी, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा संचालित भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। इस यात्रा के दौरान, भारत के बिजली क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए निरंतर निवेश, नवाचार और सहयोग महत्वपूर्ण होगा, ताकि देश के सभी नागरिकों के लिए एक उज्ज्वल व समृद्ध कल सुनिश्चित किया जा सके।

भारत के विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन

राजीव गांधी स्वरोज़गार योजना से प्रदेश में हरित क्षेत्र परियोजनाओं को मिलेगा बढ़ावा

शिमला। प्रदेश के युवाओं के लिए स्वरोज़गार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 'राजीव गांधी स्वरोज़गार योजना – 2023 शुरू की है।

इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से हरित क्षेत्र से संबंधित नयी परियोजनाओं को प्रोत्साहन प्रदान करना है। हिमाचल में स्वरोज़गार, स्थानीय उद्यमशीलता और राज्य के मज़बूत आर्थिक विकास की परिकल्पना इस योजना में की गयी है। यह योजना नवीन विचारों, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक औद्योगिक पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से शुरू की गयी है।

इस योजना के माध्यम से 18 से 45 वर्ष की आयु के योग्य युवाओं को नए औद्योगिक उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन, रियायतें और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। महिला आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गयी है। योजना के अन्तर्गत बैंक परियोजना लागत का 90 प्रतिशत सावधि या समग्र ऋण के रूप में प्रदान करेंगे, जबकि 10 प्रतिशत व्यय लाभार्थी द्वारा वहन किया जाएगा।

योजना के तहत पात्र आवेदक को संयंत्र और मशीनरी या उपकरण इत्यादि के लिए अधिकतम 60 लाख रुपये के निवेश पर 25 प्रतिशत उपदान प्रदान किया जाएगा। कार्यशील पूंजी सहित कुल परियोजना लागत एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए निवेश उपदान की सीमा 30 प्रतिशत होगी, जबकि महिलाओं एवं दिव्यांगजन लाभार्थियों के लिए यह सीमा 35 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

ई – टैक्सी, ई – ट्रक, ई – बस, ई – टेम्पो की खरीद के लिए सभी पात्र श्रेणियों के लिए निवेश उपदान की सीमा 50 प्रतिशत निर्धारित की गयी है। उपदान के लिए पात्र घटक विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में बांटे गये हैं।

इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा बजट में 10 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड आवंटित किया गया है। योजना के अन्तर्गत एक परिवार से केवल एक व्यक्ति आर्थिक सहायता का लाभ उठा सकता है।

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध पोर्टल पर एक सामान्य आवेदन पत्र जमा करना होगा। यह योजना राज्य में एक उद्यम आधारित परिवेश स्थापित करने पर केंद्रित है। उद्यमों को बैंक से ऋण की पहली किस्त प्राप्त करने के दो साल के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना आवश्यक है।

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को हिमाचली प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आयु प्रमाण और प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट जैसे दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।

राजीव गांधी स्वरोज़गार योजना – 2023 के कार्यान्वयन के माध्यम से प्रदेश सरकार राज्य में उद्यमशीलता को बढ़ावा प्रदान कर रही है। योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत का अधिकांश हिस्सा बैंक प्रदान करेंगे जबकि लाभार्थी को आंशिक वित्तीय योगदान ही करना होगा।

स्वरोज़गार और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देते हुए राज्य सरकार का लक्ष्य युवाओं को रोज़गार प्रदाता बनने के अवसर प्रदान करना है ताकि वे आर्थिक विकास के साथ – साथ हिमाचल के समग्र विकास में योगदान दे सकें। इस योजना के माध्यम से नए विचारों, प्रौद्योगिकी और नवाचारों का समावेश सुनिश्चित कर हरित क्षेत्रों पर आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि राजीव गांधी स्वरोज़गार योजना केवल एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम भर नहीं है अपितु यह हिमाचल प्रदेश के समग्र विकास और समृद्धि के लिए उत्प्रेरक का कार्य करेगी, जो लाभार्थियों को सफल उद्यमी बनने और राज्य की प्रगति में योगदान करने के लिए सशक्त बनाएगी। यह योजना निश्चित रूप से स्वरोज़गार और उद्यमिता की शक्ति के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के एक उज्ज्वल और हरित भविष्य के निर्माण की परिकल्पना को साकार करेगी।

पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 'लेक टूरिज़्म' को बढ़ावा देगा हिमाचल

शिमला। पर्यटन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नए बदलाव महसूस किए जा रहे हैं। आज देश – विदेश से आने वाले पर्यटक प्राकृतिक नज़ारों के आस – पास अपना प्रवास पसंद करते हैं। इसी के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने हिमाचल में स्थित झीलों, जलाशयों सहित अपने अन्य

प्राकृतिक संसाधन एवं गंतव्य स्थल पर्यटकों के लिए और आकर्षक बनाने की पहल की है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के गतिशील नेतृत्व में राज्य सरकार झीलों एवं जलाशयों के आस – पास 'लेक टूरिज़्म' विकसित करने की कार्य योजना पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नैसर्गिक सौन्दर्य से परिपूर्ण झीलों से पर्यटकों को आकर्षित करेगी। इसके तहत ज़िला कांगड़ा के पौंग बांध, कोल डैम जलाशय, तत्तापानी के गर्म पानी के चश्मे, ज़िला बिलासपुर में भाखड़ा जलाशय, कुल्लू – मनाली के समीप लारजी जलाशय और चंबा में चमेरा बांध जलाशयों में जल आधारित पर्यटन गतिविधियों जैसे हाउस बोट, क्रूज़ और यॉच इत्यादि के संचालन को बढ़ावा प्रदान किया जाएगा।

राज्य सरकार कृत्रिम जलाशयों को अभिनव पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रही है। प्रदेश में पर्यटकों की यात्रा को अविस्मरणीय बनाने के लिए उन्हें जल क्रीड़ा गतिविधियां, मछली पकड़ने, पक्षी देखने, पर्यावरण – पर्यटन गतिविधियों आदि जैसी साहसिक पर्यटन गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त कला एवं शिल्प केंद्र, शॉपिंग आर्केड और फूड – स्ट्रीट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, जो पर्यटकों को एक अच्छा अनुभव प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य पर्यटकों को विभिन्न प्रकार के यादगार अनुभव प्रदान करने के अलावा उनकी यात्रा अवधि को और अधिक बढ़ाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कृत्रिम जलाशयों के आस – पास पर्यटन बढ़ने से स्थानीय लोगों को होम स्टे, रेस्तरां, रिजॉर्ट्स और होटल इत्यादि स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा जिससे उनकी आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि इन साहसिक गतिविधियों के संचालन के लिए नियम इत्यादि भी तैयार किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला प्रशासन को एक से दो किलोमीटर तक फैली कृत्रिम झील बनाने के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, नगरोटा में एक वेलनेस सेंटर, आकर्षक झरनों के साथ एक कृत्रिम झील की स्थापना के लिए 5.75 हेक्टेयर भूमि की पहचान भी की गयी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ज़िला कांगड़ा के पौंग बांध में साहसिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे साहसिक गतिविधियों के शौकीन राज्य की ओर रूख करेंगे।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और राज्य सरकार यहां आने वाले पर्यटकों की यात्रा एवं उनके अनुभवों को अविस्मरणीय बनाने के लिए पर्यटन से जुड़े बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए प्रमुखता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी पांच वर्षों में राज्य में पर्यटकों की आमद बढ़ाकर पांच करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था मज़बूत होने के साथ – साथ स्थानीय युवाओं को रोज़गार और स्वरोज़गार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।

ई सेवा केंद्र-डिजिटल विभाजन को पाटना और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना

शिमला। 25 उच्च न्यायालयों के अंतर्गत 815 ई – सेवा केंद्रों की स्थापना की गयी है, जिससे कि सभी हितधारकों को न्यायालयों की नागरिक – केंद्रित सेवाओं और मामलों से संबंधित जानकारी का सुगमता से लाभ मिल सके।

ई – सेवा केंद्रों के बारे में :वकीलों और वादियों को ई – फाइलिंग सेवाएं प्रदान करके डिजिटल अंतर को कम करने के लिए ई – सेवा केंद्र शुरू किए गए हैं। प्रायोगिक परियोजना के रूप में इसमें सभी उच्च न्यायालयों और एक जिला न्यायालय को शामिल करते हुए, सभी अदालत परिसरों को कवर करने के लिए इसे विस्तारित किया जा रहा है। ई – सेवा केंद्र वकील या वादियों जिन्हें सूचना से लेकर सुविधा और ई – फाइलिंग तक किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, को सुविधा प्रदान करने के प्रयोजन से न्यायालय परिसरों के प्रवेश बिंदु पर स्थापित किए जा रहे है।

30 अक्तूबर, 2020 को भारत के पहले ई – संसाधन केंद्र का उद्घाटन महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया। ई – संसाधन केंद्र ''न्याय कौशल'' देश भर के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में मामलों की ई – फाइलिंग की सुविधा प्रदान करेगा। यह वकीलों और वादियों को ऑनलाइन ई – कोर्ट सेवाओं तक पहुंचने में भी सहायता करेगा और उन लोगों को सुविधा प्रदान करेगा, जो प्रौद्योगिकी का व्यय वहन नही कर सकते। इससे समय बचाने, परिश्रम से बचने, लंबी दूरी की यात्रा करने और देश भर में मामलों की ई – फाइलिंग, वर्चुअल रूप से सुनवाई आयोजित करने, स्कैनिंग, ई – कोर्ट सेवाओं तक एक्सेस करने आदि की सुविधाएं प्रदान करके लागत बचाने में लाभ मिलेगा।

पिछले नौ वर्षों में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 59 प्रतिशत बढ़ी:गडकरी

शिमला। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 59 प्रतिशत बढ़ी है। इस विस्तार के साथ ही भारत के पास अब अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है।

नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा '2013 – 14 में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 91,287 किलोमीटर थी जो 2022 – 23 में बढ़कर 1,45,240 किलोमीटर हो गयी जो, इस अवधि में 59 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है''।

उन्होंने यह भी कहा कि पिछले नौ वर्षों में फोर – लेन राष्ट्रीय – राजमार्ग में वृद्धि लगभग दोगुनी हो गयी है। 2013 – 14 में फोर – लेन राष्ट्रीय – राजमार्ग की यह लंबाई 18,371 किलोमीटर थी जो, पिछले नौ वर्षों में बढ़कर 44,654 किलोमीटर हो गयी है।

गडकरी ने कहा कि फास्टैग को शुरु करने से टोल संग्रह में महत्वपूर्ण उछाल आया है। उन्होंने आगे बताया कि टोल से राजस्व संग्रहण 2013 – 14 के 4,700 करोड़ से बढ़कर 2022 – 23 में 41,342 करोड़ हो गया है। गडकरी ने आगे जोड़ते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य 2030 तक टोल राजस्व संग्रहण को 1,30,000 करोड़ तक पहुँचना है।

गडकरी ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप टोल प्लाज़ा पर प्रतीक्षा समय भी कम हो गया है, ''2014 में टोल प्लाज़ा पर प्रतीक्षा समय 734 सेकेंड था जबकि 2023 में यह घटकर 47 सेकंड रह गया है। हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही इसे घटाकर 30 सेकेंड कर लेंगे''।

गडकरी ने भारत में यात्रा अनुभवों पर फास्टैग के परिवर्तनकारी प्रभाव के बारे में बात करते हुए कहा कि इसने टोल भुगतान की अवधारणा में नगद लेनदेन की आवश्यकता को समाप्त कर क्रांति ला दी है। एक शोध के अनुसार इस जबरदस्त कदम से टोल प्लाज़ा पर इंतजार के कारण बर्बाद होने वाले ईंधन खर्च में लगभग 70,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है।

गडकरी ने कहा कि उत्तर पूर्व क्षेत्र में सड़क राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार पर विशेष ज़ोर दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में 2 लाख करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा के सुखद अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से सड़क किनारों पर 670 सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।

गडकरी ने कहा कि एनएचएआई के आईएनवीआईटी (इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) मॉडल के तहत एक बॉन्ड इशू लॉन्च किया गया और इसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पर इसकी उपलब्धता के पहले दिन के भीतर बांड को सात गुना अधिक अभिदान मिला। नितिन गडकरी ने निवेशकों से एनएचएआई आईएनवीआईटी में निवेश करने का आग्रह किया जो पारंपरिक बैंक दरों से ज़्यादा 8.05 प्रतिशत की आकर्षक ब्याज दर प्रदान कर रहा है।

इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा एनएचआई ने तकनीकी प्रगति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के रूप में स्थापित करने की अपनी महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करते हुए सात विश्व रिकॉर्ड हासिल किये हैं।

हरित पहल के मुद्दे पर गडकरी ने कहा कि एनएचएआई ने पिछले नौ वर्षों में 68,000 से अधिक पेड़ों का प्रत्यारोपण किया जबकि 3.86 करोड़ नए पेड़ लगाए। जल पुनर्जीवन पहल, के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा एनएचएआई ने देश – भर में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे 1500 से अधिक अमृत सरोवर विकसित किए हैं।

गडकरी ने बताया कि मंत्रालय ने दिल्ली रिंग रोड परियोजना के लिए सड़क निर्माण में 30, लाख टन कचरे का उपयोग किया है, जो अपशिष्ट प्रबंधन और टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति एक सक्रिय दृष्टिकोण है। इसके अलावा उन्होंने बांस क्रैश बैरियर्स की शुरुआत पर प्रकाश डाला, जो रोजगार के अवसर पैदा करने और टिकाऊ पर्यावरण को बढ़ावा देने के साथ – साथ मजबूती और स्थायित्व भी प्रदान करते हैं।

स्थायी भविष्य के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप नितिन गडकरी ने अगले पांच वर्षों में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के एक योजना का परिचय दिया।

राज्यपाल ने हरोली से कांगड़ ब्रिस्क वॉक को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

अवैध नशीली दवाओं के कारोबार में संलिप्त लोगों की कोई सहायता नहीं: उप-मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने ऊना जिला के हरोली से कांगड़ तक नशे के खिलाफ आयोजित ब्रिस्क वॉक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी उपस्थित थे। वॉक में समाज के हर वर्ग, विभाग और शिक्षण संस्थानों के लोग भी शामिल हुए।

इस नई पहल के साथ राज्यपाल ने हरोली से करीब दो किलोमीटर पैदल चलकर नशे के विरूद्ध जन जागरूकता

का संदेश दिया। इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री की पत्नी प्रो. सिम्मी अग्निहोत्री, वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

शुक्ल ने कहा कि,''मुझे खुशी है कि जिस भावना के साथ मैं हिमाचल में नशे के विरूद्ध अभियान चला रहा हूं, उसे सरकार, प्रशासन और समाज के सभी वर्गों का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो रहा है। उप-मुख्यमंत्री ने नशे के विरूद्ध मेरे अभियान को और मजबूत किया है। मुझे यकीन है कि हिमाचल अब नशे के विरूद्ध निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर है।''

पदयात्रा के अंतिम पड़ाव कांगड़ में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने नशे के विरूद्ध नई पहल के साथ कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उप-मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की और कहा कि हिमाचल को नशामुक्त बनाना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि नशे की बुराई युवाओं के भविष्य से जुड़ी है और इस चुनौती से निपटने के लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देवभूमि में बढ़ते नशे के मामलों को लेकर चिंता जताई थी। जिसके दृष्टिगत उन्होंने हिमाचल में नशे के विरूद्ध जन आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की तथा नशे के समूल नाश के लिए प्रधाव् जैसे अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस संबंध में सराहनीय कार्य कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह ड्रग तस्करों के विरूद्ध कानून में संशोधन के संबंध में केंद्र सरकार से बात करेंगे।

राज्यपाल ने कहा कि आज युद्ध केवल हथियारों से नहीं लड़े जाते, बल्कि देश के युवाओं को नशे की लत लगाकर अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध लड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक युवा देश है और हमारे कुछ पड़ोसी देश ड्रग्स भेजकर यह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जेलों में लगभग 3000 कैदी हैं, जिनमें से 40 प्रतिशत से अधिक कैदी नशीली दवाओं से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि ऊना सीमावर्ती जिला होने के कारण नशा तस्करों के लिए संवेदनशील है और ऐसे में यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का संदेश दूसरे राज्यों तक पहुंचेगा।

इस अवसर पर राज्यपाल ने हेल्पलाइन नंबर 94180-64444 का शुभारंभ किया। उन्होंने नशा विरोधी अभियान को आगे बढ़ाने का संदेश देते हुए पोस्टर भी जारी किया।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए कहा कि राज्यपाल के आहवान पर उन्होंने इस मेगा अभियान की शुरुआत हरोली से की है। उन्होंने कहा कि यह नशे के विरूद्ध अंतरराष्ट्रीय लड़ाई है। उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं के अवैध व्यापार में संलिप्त व्यक्ति, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, वह देश और समाज का दुश्मन है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई युवा पीढ़ी के भविष्य की रक्षा के लिए है।

अग्निहोत्री ने कहा कि नशे से जुड़े कानूनों में बदलाव की जरूरत है। इसमें जमानत का प्रावधान नहीं होना चाहिए और ऐसे अवैध कारोबार में शामिल लोगों की संपत्ति जब्त कर ली जानी चाहिए और इसके लिए केंद्र सरकार को सहयोग करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक प्रस्ताव विधानसभा के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि सिंथेटिक ड्रग्स आज एक बड़ी चुनौती बन चुकी हैं और यह दूर-दराज के गांवों तक पहुंच गयी हैं। प्रदेश की सीमाओं से मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए हर स्तर पर कड़े पग उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को संरक्षण देने वालों को भी समाज के सामने लाना चाहिए। ऐसे लोगों का सार्वजनिक बहिष्कार होना चाहिए।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि हरोली से शुरू हुए इस महाअभियान को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि विकास के मामले में तो वे उनसे हर उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन नशे के मामले में पकड़े जाने पर कोई भी सहयोग नहीं किया जायेगा।

इस अवसर पर कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक सतवंत अटवाल त्रिवेदी ने कहा कि यह चिंता का विषय है कि जनसंख्या की दृष्टि से नशे के प्रचलन में हिमाचल पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। उन्होंने कहा कि इसी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए राज्य पुलिस ने प्रधाव् नाम से एक अभियान शुरू किया है। इसके तहत 160 स्कूलों के करीब 16000 विद्यार्थियों से ऑनलाइन चर्चा की गयी। इस वर्ष मार्च माह में राज्यपाल द्वारा एक ऑनलाइन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग विद्यार्थियों को नशे की लत से मुक्ति दिलवाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान पर काम कर रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों से नशीली दवाओं के विरूद्ध योद्धा बनने और प्रहरी के रूप में कार्य करने का आग्रह किया।

उप-मुख्यमंत्री की बेटी कुमारी आस्था अग्निहोत्री ने भी नशे के खिलाफ इस अभियान पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

इससे पहले, उपायुक्त राघव शर्मा ने जिले में नशे के विरूद्ध चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर नशा मुक्ति विषय पर आधारित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसके तहत मास्टर सलीम व अन्य कलाकारों ने प्रस्तुति दी।

प्रदेश सरकार आयात शुल्क 100 प्रतिशत करने की मांग केन्द्र से उठाएगी:नरेश चौहान

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा हाल ही के अपने अमरीका दौरे के दौरान वाशिंगटन एप्पल पर आयात शुल्क 20 प्रतिशत कम करने का

फैसला प्रदेश के बागवानों के साथ एक बड़ा धोखा है जिसकी प्रदेश सरकार एवं कांग्रेस पार्टी कड़ा विरोध करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर बागवानों के साथ खड़ी है।

उन्होने केन्द्र सरकार के इस फैसले को बागवान विरोधी करार देते हुए कहा कि हमारी सरकार आयात शुल्क को 100 प्रतिशत करने की इस मांग को केन्द्र सरकार के साथ उठाएगी ताकि सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा की जा सके।

चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2014 और 2019 में प्रदेश के लोगों ने वायदा किया था कि वह सेब पर आयात शुल्क बढ़ाएंगे लेकिन वह आज अपने वायदे से मुकर गए है। हिमाचल को अपना दूसरा घर मानने वाले प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयात शुल्क 70 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत करना प्रदेश के बागवानों के साथ उनकी वादाखिलाफी है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक फल राज्य है जिसे सेब राज्य के नाम से जाना जाता है और देश की आलथकी में सेब उत्पादन का अहम योगदान है क्योंकि प्रदेश की लगभग 7 लाख आबादी बागवानी व्यवसाय से जुड़ी है जबकि प्रदेश के 6 से 7 जिलों में सेब की खेती की जाती है जहां डेढ़ लाख परिवार सीधे तौर से इस व्यवसाय से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सेब उत्पादन एक बड़ा उद्योग है जो मजदूर से लेकर रेहड़ी वाले तक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रोजगार का प्रमुख साधन है।

प्रदेश भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता इस मुद्दे पर अपना स्टैण्ड स्पष्ट करे कि वह किसानों एवं बागवानों के साथ हैं अथवा उनके विरोधी हैं। कांग्रेस पार्टी और प्रदेश के 75 लाख लोग यह जानना चाहते हैं कि इस मुद्दे पर भाजपा का क्या रूख है। उन्होंने कहा कि वह पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष से भी इस बारे आग्रह करेंगे कि वह भी अपने स्तर पर केन्द्र सरकार से बात करें बागवानों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करें।

नरेश चौहान ने कहा कि दो सालों में कार्टन बक्सों की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है लेकिन अब इनकी कीमतों में 11 से 23 प्रतिशत की कमी आएगी जिससे बागवानों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा और उन्हें राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि कार्टन बक्सों पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का यह एक महत्वपूर्ण फैसला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों एवं बागवानों की समस्याओं से भली भांति अवगत है जिन्हें हल करना सरकार सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि इस बार प्री-मानसून शुरू हो गया है और प्रदेश में भारी बारिश के कारण सड़कों और पेयजल योजनाओं को भारी नुकसान पहुॅचा है लेकिन मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं वह बरसात के मौसम में पूरी तरह तैयार रहें। उन्होंने लोक निर्माण विभाग सहित सभी उपायुक्तों को उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि क्षतिग्रस्त सड़कों की मुरम्मत कार्य समय रहते आरम्भ करे ताकि बागवानों के उत्पाद मंडियों तक पहुॅचाया जा सके।

बल्क ड्रग पार्क में सतत् जल उपलब्धता पर व्यय किए जाएंगे 11.75 करोड़ रुपये: उद्योग मंत्री

शिमला/शैल। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राज्य के ऊना जिले में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए सभी

संबंधित विभाग कड़ी मेहनत करें। हर्षवर्धन चौहान इस कार्य के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने सभी संबंधित विभागों को बल्क ड्रग पार्क के कार्यों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए इन्हें समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पानी, बिजली, आंतरिक सड़क आधारभूत ढांचे जैसी बुनियादी आवश्यकताओं का तुरंत विकास किया जाना चाहिए। उन्होंने पार्क में निरंतर जल आपूर्ति बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक समाधान पर भी बल दिया।

बैठक में जलशक्ति विभाग को भी जलापूर्ति से संबंधित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि बल्क ड्रग पार्क में सतत् जल उपलब्धता के लिए क्षेत्र के भूमिगत जल स्तर के पुनर्भरण और रखरखाव के लिए जलशक्ति विभाग को 11.75 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।

उन्होंने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से पार्क में स्थायी विद्युत आपूर्ति की संभावनाएं तलाशने के भी निर्देश दिए और कहा यह मामला पहले ही बोर्ड के अधिकारियों के समक्ष उठाया जा चुका है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को बल्क ड्रग पार्क के लिए बाह्य विद्युत बुनियादी ढांचे का निर्माण शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने पार्क के भीतर आवश्यक मशीनरी के परिवहन के दृष्टिगत आंतरिक सड़क निर्माण को समयबद्ध पूर्ण करने तथा पार्क के प्रशासनिक ब्लॉक के निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू करने को भी कहा।

उद्योग मंत्री ने जिला हमीरपुर की भोरंज तहसील के जाहू और बिलासपुर जिले की घुमारवीं तहसील के भदरोग में लगभग 40 बीघा भूमि पर दो नए औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा की।

इससे पूर्व निदेशक उद्योग एवं बल्क ड्रग पार्क की राज्य संचालन एजेंसी के प्रबन्ध निदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी राकेश प्रजापति ने बल्क ड्रग पार्क के संबंध में वर्तमान कार्यों को इंगित करती एक विस्तृत प्रस्तुति दी।

ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों के लिए विश्व बैंक हिमाचल को प्रदान करेगा 200 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक लगभग 1600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगा, जिससे प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने सहित ऊर्जा क्षेत्र के समग्र सुधार में मदद मिलेगी। प्रदेश की हिस्सेदारी के साथ इस कार्यक्रम की कुल लागत लगभग 2000 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की अवधि 2023 से 2028 तक पांच वर्षों की है और विश्व बैंक से इस कार्यक्रम के लिए अगस्त, 2023 तक वित्तीय मदद मिलने की संभावना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व बैंक बोर्ड ने 27 जून, 2023 को वाशिंगटन में इस कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है। इस संबंध में समझौता अब जल्द ही इस वर्ष जुलाई माह में किया जाएगा और हिमाचल प्रदेश को इस फंड की पहली किस्त अगस्त, 2023 में मिलने की उम्मीद है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा में राज्य के संसाधनों के उपयोग, पारेषण एवं वितरण के स्तर पर राज्य ग्रिड की विश्वसनीयता और विभिन्न ऊर्जा एजेंसियों की संस्थागत क्षमताओं का उन्नयन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत ऊर्जा क्षेत्र की व्यापक योजना के लिए एकीकृत संसाधन योजना को बढ़ावा देने, मांग प्रतिक्रिया प्रबन्धन, जल विद्युत परियोजना परिसंपत्तियों के तकनीकी उपयोग में सुधार करते हुए इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा के अन्य स्रोतों से एकीकृत करने और राज्य में उत्पादित बिजली की प्रभावी बिक्री के लिए एकल व्यापार डेस्क की स्थापना शामिल है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से राज्य में नवीकरणीय शेष क्षमता के माध्यम से बिजली की बिक्री से राजस्व में वृद्धि संभावित है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कार्यक्रम का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिम ऊर्जा के माध्यम से लगभग 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा उत्पादन में नई क्षमताएं स्थापित करना है। राज्य को अपनी विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने दृष्टिगत सर्वोत्कृष्ट व्यापार की अनुमति प्रदान करना महत्वपूर्ण है और ऐसे में यह कार्यक्रम राज्य के भीतर ट्रांसमिशन (एचपीपीटीसीएल द्वारा) और 13 शहरों में वितरण स्तर (एचपीएसईबीएल द्वारा) पर विद्युत नेटवर्क को सुदृढ़ करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एचपीएसएलडीसी) की प्रणालियों के उन्नयन से विद्युत की मांग और आपूर्ति के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी। इन सभी मध्यस्थताओं के माध्यम से राज्य के भीतर विद्युत आपूर्ति का बेहतर हस्तांतरण विश्वसनियता और गुणवत्ता के आधार पर सुनिश्चित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम राज्य के बिजली क्षेत्र पर लागू पर्यावरण और सामाजिक प्रणालियों को मज़बूत करेगा ताकि इन पहलुओं की बेहतर निगरानी और मूल्यांकन की अनुमति मिल सके। उन्होंने कहा कि मौजूदा मानदंडों, विनियमों और अध्ययनों के अंतर विश्लेषण के आधार पर विस्तृत पर्यावरण और सामाजिक आकलन पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विश्व बैंक समर्थित इस कार्यक्रम के तहत जलविद्युत में कोई नये निवेश की परिकल्पना नहीं की गयी है, लेकिन यह कार्यक्रम राज्य को बिजली क्षेत्र की उपयोगिताओं के लिए समान पर्यावरण और सामाजिक नीति और प्रक्रियाएं विकसित करने में सहायक होगा और राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के सतत् विकास के लिए मानक उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य विद्युत क्षेत्र में महिलाओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

इम्प्लीमैंटेशन एग्रीमैंट पर सकारात्मक दृष्टिकोण से शीघ्र कदम उठाए एसजेवीएनएल:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। सतलुज जल विद्युत निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक नन्द लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री से एसजेवीएनएल द्वारा कार्यान्वित की

जा रही विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में चर्चा की।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एसजेवीएनएल ने 210 मेगावाट क्षमता की लुहरी चरण-1 परियोजना, 66 मेगावाट क्षमता की धौलासिद्ध और 382 मेगावाट क्षमता के सुन्नी डैम का निर्माण कार्य प्रदेश सरकार के साथ इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट किए बिना आरम्भ कर दिया है। उन्होंने इस पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इसके बारे में बार-बार आग्रह किए जाने के बावजूद एसजेवीएनएल ने सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कोई कदम नहीं उठाया है। इसी कारण प्रदेश सरकार ने एसजेवीएनएल को नोटिस जारी किया है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एसजेवीएनएल की जल विद्युत परियोजनाओं में प्रदेश को 20, 30 और 40 प्रतिशत की दर से रॉयल्टी प्रदान की जाये। वर्तमान में 12 वर्ष के लिए 12 प्रतिशत, अगले 18 वर्ष के लिए 18 प्रतिशत और अन्तिम 10 वर्ष के लिए 30 प्रतिशत की दर से रॉयल्टी प्रदान करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं की निर्माण लागत पूर्ण हो चुकी है उनमें रॉयल्टी 30 प्रतिशत की दर से प्रदान की जाये तथा परियोजना कार्यशील होने के 40 वर्षों की अवधि के उपरान्त इन्हें प्रदेश सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल की नदियों में बहने वाला जल प्रदेश का अमूल्य संसाधन है। जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा इस संसाधन का दोहन तो किया जा रहा है, परन्तु प्रदेशवासियों को अब तक उससे वांछित लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने जल उपकर के मुद्दे पर भी विस्तृत चर्चा की।

इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव सुन्दर सिंह ठाकुर भी उपस्थित थे।

कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिग एफएम द्वारा आयोजित बिग इम्पैक्ट अवार्ड

कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर अभिनेत्री रूबीना दिलैक, अंशू और कार्तिक बाथला, उधम सिंह ठाकुर, गायक मोहन सिंह चौहान, राजेश मल्होत्रा, ममता और विशाल गुप्ता, डॉ. दिनेश बेदी, प्रेम राणा, डॉ.पी.एन. ऋषिकेश, हिमांशु सूद, मनुज शारदिया, राजेश पुरी, पायस, अंकित अग्रवाल, मुकेश भास्कर, भगवान सिंह गिल और डॉ. नीरज शर्मा को विभिन्न क्षेत्रों में उनके सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के उद्यमियों और उत्कृष्ट लोगों को सम्मानित करने के लिए बिग एफएम की सराहना की और कहा कि हिमाचल प्रदेश की कई हस्तियों ने देश-विदेश में प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। हिमाचल के लोग फिल्म जगत सहित कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं को जनता के मध्य प्रसारित करने में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बिग एफएम युवाओं के मध्य लोकप्रिय है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी और बिग एफएम से आग्रह किया कि लोगों तक विभिन्न योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने में योगदान प्रदान करें।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में कई हरित पहल शुरू की हैं। सरकार प्रदेश में ई-वाहनों को बढ़ावा दे रही है और अगले तीन वर्षों में एचआरटीसी बेड़े को ई-बसों में बदलने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि ई-वाहन अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार निजी ऑपरेटरों को ई-बसों, ई-ट्रकों और ई-टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार 250 किलोवाट से दो मेगावाट क्षमता तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 40 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को नए आयाम प्रदान करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा को पर्यटन राजधानी का दर्जा दिया गया है और राज्य भर के जल संसाधनों में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शिमला के सर्कुलर रोड पर यातायात की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य ने 6000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है और शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक सुधार लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।

इससे पहले बिग एफएम के बिजनेस हेड शैलेश श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आर.एस. बाली, मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल, विधायक हरीश जनारथा और सुदर्शन बबलू, पूर्व विधायक सतपाल रायजादा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का मासिक मानदेय 20 हजार रुपये करने की घोषणा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आईजीएमसी शिमला में आयोजित अलाइड हेल्थ साइंस स्टूडेंट्स के वार्षिक समारोह 'इन्फ्यूजन-2023' के अवसर पर स्टेट अलाइड एंड हेल्थकेयर कॉउन्सिल के नवनिर्मित ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं

नवीनीकरण पोर्टल का शुभारम्भ किया। इस कॉउन्सिल का गठन हिमाचल प्रदेश पैरामेडिकल कॉउन्सिल का पुनर्गठन करके किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण पर कांसेप्ट पेपर तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का मानदेय 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत पैरामेडिक्स के अन्य वर्गों का मानदेय भी बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पोर्टल की मदद से हजारों अलाइड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स को बहुआयामी लाभ मिलेंगे। प्रोफेशनल्स घर बैठे इस पोर्टल के माध्यम से काउंसिल में नए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन, रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, आवेदन तथा अन्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।

इस पोर्टल की मदद से काउंसिल का कार्य पूर्ण रूप से कागजमुक्त हो जायेगा तथा काउंसिल की कार्यक्षमता को बढ़ावा मिलेगा। परिषद के पुराने रिकॉर्डों को डिजिटल बनाया गया है और आवेदनों की शीघ्र प्रोसेसिंग के लिए सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। लगभग 9 हजार एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को अब काउंसिल में आने की आवश्यकता नहीं होगी और सभी प्रकार के आवेदनों की स्थिति ऑनलाइन ही प्राप्त की जा सकेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण पोर्टल एक सरल और पूर्णतया ऑनलाइन पोर्टल है। इसके अलावा, सत्यापन प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद, परिषद प्रत्येक एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को एक क्यूआर कोड आधारित स्मार्ट कार्ड और प्रमाणपत्र प्रदान करेगी।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

अब लोक सेवा आयोग की भर्तियों पर भी उठने लगे सवाल

- तीन लोगों ने भेजी मुख्यमंत्री को शिकायत
- आयोग में भी प्रश्न पत्र बिकने का है आरोप
- आयोग के अध्यक्ष ने सिरे से खारिज किया है आरोपों को
- क्या बिना किसी जांच के आरोपों को नकारना सही है
- जब भाजपा बेनामी पत्र की जांच की मांग कर चुकी है तो इस पर चुप्पी क्यों?
- आयोग पर पूर्व में भी उठ चुके हैं सवाल
- आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियों के लिये सर्वोच्च न्यायालय और प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालन कब होगी?

शिमला/शैल। प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी विभिन्न भर्तियों के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं और बिक भी रहे हैं। यह आरोप मुख्यमंत्री को भेजे एक शिकायत पत्र में तीन लोग गौरव चौहान, रणेश और दीप्ति नेगी ने लगाये हैं। दो पन्नों के पत्र में इन आरोपों के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। आयोग के अध्यक्ष ने इन आरोपों को जांच से पहले ही सिरे से खारिज़ कर दिया है। यह शिकायत प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजी गयी है। इस नाते इस शिकायत की जांच करवानी है या नहीं इसका फैसला मुख्यमंत्री और सरकार को करना है और सरकार के किसी फैसले से पहले आयोग द्वारा इनको खारिज़ कर देना कुछ अटपटा सा लगता है। इस पत्र को पढ़ने से ही यह समझ आ जाता है कि इस शिकायत के पीछे ऐसे लोग हैं जो आयोग की कार्यशैली को अन्दर तक जानते हैं। इसलिये इन आरोपों को सोर्स सूचना मानते हुये इनकी जांच करवाकर आयोग की निष्पक्षता पर उठते सवालों का जवाब दिया जा सकता है। इस पत्र पर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी भाजपा की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आयी है जबकि पावर कॉरपोरेशन को लेकर पिछले दिनों आये बेनामी पत्र पर इन लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की थी। यह बेनामी पत्र प्रधानमंत्री को संबोधित किया गया था और वहां से यह ईडी तक पहुंच चुका है। जब पीएमओ एक बेनामी पत्र का संज्ञान ले सकता है तो उसी गणित से इस तीन लोगों के पत्र पर कार्यवाही क्यों नहीं?

हिमाचल लोक सेवा आयोग द्वारा एक समय भर्ती किये गये एक्साईज़ इंस्पैक्टरों का मामला भी प्रदेश उच्च न्यायालय पहुंच चुका है। इसके बाद इसी आयोग में अध्यक्ष और सचिव में प्रश्नपत्र चेस्ट की चाबी का विवाद उठ चुका है और तुरन्त प्रभाव से सचिव को हटा दिया गया था। इस शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है कि पिछले दो वर्षों से ऐसा हो रहा है। स्मरणीय है कि इसी दौरान यह आयोग 48 दिनों तक बिना अध्यक्ष के केवल एक सदस्य के सहारे रह चुका है। चर्चा है कि सरकार आयोग पर दबाव बनाना चाहती थी। क्या इस दौरान लिये गये फैसलों पर सरकार का दबाव नहीं रहा होगा। आयोग द्वारा ली गयी परीक्षाओं और साक्षात्कारों का परिणाम एक समय एक तय अवधि के दौरान निकाल दिया जाता था। लेकिन उसके बाद परिणाम निकालने में एक वर्ष से भी अधिक का समय लगता रहा है। क्या परिणाम निकालने में इतना समय लग जाना अपने में ही सन्देहों को जन्म नहीं देगा।

सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि जिस आयोग को प्रदेश की शीर्ष प्रशासनिक सेवाओं के लिये भर्ती करने की जिम्मेदारी दी गयी है उसके आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अपनी नियुक्तियों को लेकर ही कोई तय प्रक्रिया नही है। सर्वोच्च न्यायालय ने साहिल सबलोक मामले में सरकारों को ऐसी प्रक्रिया तय करने के निर्देश दिये हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार को इन नियुक्तियों के बारे में एक प्रक्रिया निर्धारित करने के निर्देश दिये हैं जिन पर न तो पूर्व सरकार ने कोई कदम उठाया है और न ही व्यवस्था परिवर्तन करने का दम भरने वाली इस सरकार ने सात माह में कोई कदम उठाया है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि सरकार अदालत के निर्देशों की अनुपालना क्यों नही कर रही है? क्या इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि सरकार आयोग पर अपना दबाव बनाये रखने के लिये इन निर्देशों की अनुपालन नहीं करना चाहती है।

राजीव बिन्दल का सरकार पर हमला समान नागरिक संहिता पर स्टैण्ड स्पष्ट करें मुख्यमन्त्री

विक्रमादित्य समर्थन कर रहे हैं तो चन्द्र कुमार विरोध

शिमला/शैल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिन्दल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार जो सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृव में चल रही है, इस सरकार में मुख्यमंत्री के अलग दावे हैं और मंत्रियों के अलग दावे हैं। मुख्यमंत्री कहते है कि हम 97 प्रतिशत हिन्दु आबादी वाले प्रदेश में हिन्दुवादी भाजपा को हराकर सत्ता में आये हैं। इसके जवाब में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य कहते है कि मेरे से बड़ा कोई हिन्दू नहीं है परन्तु मुख्यमंत्री अपने ब्यान पर कायम है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज देशभर में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए बहस छिड़ी हुई है। इस बहस में लोक निर्माण मंत्री कहते हैं कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिये और आज कांग्रेस पार्टी के वयोवृद्ध नेता चौधरी चन्द्र कुमार ने ब्यान दिया है कि समान नागरिक संहिता कानून की कोई जरूरत नहीं है। उन्होनें यहां तक कह दिया कि विक्रमादित्य जो कह रहे हैं वो न तो सरकार का मत है और न ही कांग्रेस पार्टी का मत है।

डॉ. राजीव बिन्दल ने मुख्यमंत्री से सवाल पूछते हुये कहा कि वह स्पष्ट करें कि वो समान नागरिक संहिता के पक्ष में है या विरोध में। उन्होनें यह भी कहा कि वोटों के लालच में कांग्रेस पार्टी समान नागरिक संहिता का विरोध कर रही है और एक-दो लोगों को इस काम पर लगाया हुआ है कि वे विषय को विषयांतर करते रहे। अत: हिमाचल की जनता के सामने यह स्पष्ट रूप से आना चाहिये कि समान नागरिक संहिता कानून के बारे में सरकार का अधिकारिक मत क्या है और कांग्रेस का अधिकारिक मत क्या है।